

भारत सरकार  
वस्त्र मंत्रालय  
वस्त्र आयुक्त का कार्यालय  
48 न्यू मरीन लाईन्स(चर्चगेट),पो.बै.सं.11500,  
न्यू सी.सी.ओ.बिल्डिंग, मुंबई-400 020  
फैक्स: 022-2200 4693 ई-मेल: [textilec@gmail.com](mailto:textilec@gmail.com)

सं 2(65)/2008-09/पीडीसी/

दिनांक: 22 दिसंबर, 2008

परिपत्र सं.04  
(पीडीसी 2008-2009 श्रंखला)

विषय : विद्युत कर्घा क्षेत्र के लिए प्रौडनियो के अंतर्गत 20 % की दर पर मार्जिन मनी सब्सिडी (एमएमएस @20% TUFs) प्रचालन हेतु दिशा-निर्देश।  
संदर्भ : नवंबर,2007 का जी आर सं.06/04/2007-सीटीआई

एमएमएस 20% टीयूएफएस के अंतर्गत बंचमाकर्ड मशीनरी सहित विनिर्दिष्ट/ बेंचमाकर्ड विनिर्माताओं की सूची में परिवर्तन।

उपरोक्त संदर्भित जी आर के अनुक्रम में पहचान किए गए अतिरिक्त विनिर्माताओं एवं बेंचमाकर्ड मशीनरी सहित सूची निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	विनिर्माता का नाम एवं पता	कोड सं.	विनिर्माण की मद
1	2	3	4
1	मेसर्स वीवटेक इन्जीनियर्स ब्लाक नं.122/1 वाघधारा रोड, गाँव - दादरा इ 398 191 (सिलवासा) संघ शासित क्षेत्र दादरा एवं नगर हवेली फोन (0260) 2668304	035	शटल रहित रैपियर करघा रहित वाटर जेट करघा

(एन एस रावत )  
निदेशक

प्रति :-

1. संबंधित बेंचमार्क मशीनरी विनिर्माताओं को ।
2. प्रभारी अधिकारी , वस्त्र आयुक्त के सभी क्षेत्रीय कार्यालय
3. सचिव, टीएमएमए, मुंबई
4. प्रभारी अधिकारी , वस्त्र आयुक्त के सभी विद्युत कर्घा सेवा केन्द्र,


(एन एस रावत )  
निदेशक

### मैनुअल-3

खण्ड 4(1) (बी)(iii) निर्णय लेने की प्रक्रिया में अपनाई जाने वाली विधि जिसमें पर्यवेक्षण तथा दायित्व के माध्यम सम्मिलित हैं:-

#### मुख्यालय


मुख्यालय में मिसिलों का आवागमन संबंधित सहायक से अधीक्षक, सहायक निदेशक/उप-निदेशक, संयुक्त वस्त्र आयुक्त/अतिरिक्त वस्त्र आयुक्त तक होता है। तकनीकी अनुभागों के मामलों में मिसिल तकनीकी अधिकारियों के माध्यम से जाती है एवं आर्थिकी तथा सांख्यिकी अनुभागों में मिसिलें लागत अधिकारियों/आर्थिकी अधिकारियों के माध्यम से जाती हैं। महत्वपूर्ण मामलों में मिसिलें वस्त्र आयुक्त को प्रस्तुत की जाती हैं।



#### क्षेत्रीय कार्यालय

क्षेत्रीय कार्यालय का प्रमुख निदेशक/उप निदेशक होता है। निर्णय लेने की प्रक्रिया में अपनाई जाने वाली क्रिया विधि, जिसमें पर्यवेक्षण एवं दायित्व के माध्यम शामिल है, संबंधित सहायक से कार्यालय अधीक्षक तथा तकनीकी अधिकारियों से प्रारंभ होकर सहायक निदेशक तथा अतिमतः प्रभारी अधिकारी तक पूरा होती है।

क्षेत्रीय कार्यालय का संगठनात्मक चार्ट निम्नानुसार है



#### विद्युत करघा सेवा केन्द्र:

विद्युत करघा सेवा केन्द्रों का प्रमुख सहायक निदेशक (तकनीकी) होता है। मिसिलें संबंधित सहायक से तकनीकी अधिकारी से सहायक निदेशक (तकनीकी) तक जाती है। विद्युत करघा प्रशिक्षाथियों को प्रशिक्षण देने की जिम्मेदारी कुशल बुनकरों एवं बुनकर सहायकों की होती है।

